

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फैंक्स:- 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ.4(ई)(1)(6)/(2695/2013)/अलेसे-II/ 7140 दिनांक :- 12/09/2025

कार्यालय आदेश

श्री यशपाल मीना, कनिष्ठ लेखाकार (लिंक नं. 10162) पदस्थापन कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, दौसा द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र (निदेशालय में प्राप्ति दिनांक 14.07.2025 एवं 08.09.2025) एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, दौसा द्वारा गठित मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी रोग प्रमाण-पत्र एवं आरोग्य प्रमाण-पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम भाग प्रथम के नियम 96(II) के अन्तर्गत श्री मीना का अवकाश आवेदन-पत्र निम्नानुसार एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	अवकाश की प्रकृति	अवधि	कुल दिवस
1.	असाधारण अवकाश (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)	दिनांक 13.10.2022 से 22.01.2023	102 दिवस

उक्त अवकाश का इन्द्राज संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप में किया जावे तथा तदनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.4(ई)(1)(6)/(2695/2013)/अलेसे-II/ 7140 दिनांक :- 12/09/2025
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधानाचार्य, राजेश पायलट राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, दौसा।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, दौसा।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. उप निदेशक (एसीपी), को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्टी करने हेतु।
5. श्री यशपाल मीना, कनिष्ठ लेखाकार (लिंक नं. 10162) कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, दौसा।
6. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/गोपनीय शाखा/रक्षित पत्रावली।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)